होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुमन्य कल्याण कोष/अनुग्रह राशि से संबंधित शासनादेश/मुख्यालय के आदेश

क्र0 सं0	दिनांक	शासनादेश/मुख्यालय के आदेश संख्या-	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	04-07-2013	नियमावली-1174/छः:नासु-2013-120होगा-84	उ0प्र0 होमगार्डस स्वयंसेवक नियमावली-2013	**02**
2	20-06-2019	शासनादेश-21/2019/725/95-19-120होगा/88 टी0सी0	उ0प्र0 होमगार्डस कल्याण कोष हेतु पूर्व में प्राविधानित धनराशि रू0-05 करोड़ को बढ़ाकर 10 करोड़ स्वीकृत किये जाने के संबंध में।	**07**
3	13-08-2021	शासनादेश-31/2021/1425/95-2021-606होगा/8 टी0सी0	होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उसके नामिनी/उत्तराधिकारी को एवं अपंगता की दशा में उनकों अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में। **(दिनांक-06-12-2020 से लागू)**	**09**
4	31-08-2021	शासनादेश-33/2021/1669/95-2021-606होगा/8टी0सी0	दिनांक- 06-12-2020 से 25-03-2021 तक मृत होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उसके नामिनी/उत्तराधिकारी को **बीमा/अनुग्रह राशि** दिये जाने के संबंध में।	**12**
5	11-03-2022	शासनादेश-11/2022/543/95-2022-606होगा/8टी0सी0 2	होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की निर्वाचन डियूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि ही देय होगी।	**14**
6	16-11-2022	शासनादेश-53/2022/2770/95-2022-188होगा/06	होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में अपंगता की दशा में उनकों अनुग्रह राशि दिये जाने पर रोक लगाये जाने के संबंध में।	**15**
7	17-01-2023	शासनादेश-05/2023/34/95-2023-188होगा/06 टी0सी0	होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु नामिति का निर्धारण करने के संबंध में।	**17**
8	18-08-2023	शासनादेश-44/2023/1248/95-2023-188होगा/06 टी0सी0	होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु नामिति का निर्धारण करने के संबंध में।	**20**

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4 खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

उत्तर प्रदेश शासन

होमगार्ड अनुभाग

संख्या: 1174/छः नासु-2013-120होगा-84
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 जुलाई, 2013
अषाढ 13, 1935 शक संवत

<u>विज्ञप्ति</u>

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश में होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के कल्याण के लिये स्थापित कल्याण कोष की धनराशि से प्राप्त होने वाले ब्याज का उपयोग होमगार्डस स्वयंसेवकों के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली, 2013 को एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। उक्त नियमावली के लागू होने से उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 1995 स्वतः समाप्त हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली, 2013

शीर्षक परिभाषाएं 1- यह कोष ''उत्तर प्रदेश राज्य होम गार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष'' के नाम से जाना जायेगा।

2- इन नियमों के लिये जब तक कि अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो-

(क) ''कोष'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य होम गार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष से होगा।

(ख) ''लाभार्थी'' का तात्पर्य संगठन के ऐसे सक्रिय होम गार्ड्स स्वयंसेवी सदस्य से होगा, जो इस कोष से सहायता पाने के अधिकारी हैं, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

1- ''आश्रित'' जिसका तात्पर्य वही है जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है।

2- होम गार्ड्स संगठन का ऐसा सक्रिय होम गार्ड्स स्वयंसेवक, जो ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना के फलस्वरूप चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

3- ''होम गार्ड्स स्वयंसेवक'' का तात्पर्य उस रूप में उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन में भर्ती किया गया होम गार्ड्स एवं अवैतनिक अधिकारी से है।

(ग) ''आश्रित'' जिसका तात्पर्य होम गार्ड्स संगठन के ऐसे सक्रिय अवैतनिक सदस्य की पत्नी/पति तथा 21 वर्ष तक आयु के ऐसे पुत्र/पुत्री और अविवाहित पुत्रियां तथा पूर्णतया आश्रित माता-पिता, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, जिनका अपना आय का कोई अन्य साधन न हो।

(घ) ''ड्यूटी'' का तात्पर्य होम गार्ड्स संगठन के ऐसे सक्रिय अवैतनिक सदस्य की ड्यूटी से होगा, जो शासन, होम गार्ड्स मुख्यालय अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशों द्वारा ड्यूटी (प्रशिक्षण और परेड सहित) पर बुलाया गया हो।

(च) ''दैवीय आपदा'' से तात्पर्य बाढ़, सूखा, आग तथा भूकम्प से हुई क्षति से होगा।

कोष का स्त्रोत

3- कोष में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) होम गार्ड्स संगठन के सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से दिया गया दान।

(ख) केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्वेच्छा से प्राप्त धन।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।

(घ) प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित दर पर सदस्यों द्वारा कोष में स्वेच्छा से दिया गया अभिदान।

कोष का उद्देश्य

4- होम गार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(क) कोष से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना :-

1- साम्प्रदायिक दंगों/आतंकवाद निरोधी कार्यवाही में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में, जो बीमा से आच्छादित न हो रू0-5,00,000/- (रूपया पांच लाख)।

2- विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में, जो दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो, रू0-3,00,000/- (रूपया तीन लाख)। इसके अंतर्गत चुनाव, कानून व्यवस्था तथा दैवीय आपदा सम्बन्धित ड्यूटी सम्मिलित होगी।

3- परेड, प्रशिक्षण (जो बीमा से आच्छादित न हो) तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर नियोजित होने वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में रू0-2,00,000/- (रूपया दो लाख)।

4- उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अपंगता (दो अंगों अथवा दोनों आंखें अथवा एक अंग एवं एक आंख की पूर्ण रूप से हानि पर) उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्ण रूप से स्थायी अपंगता पर (उदाहरण के रूप में पक्षाघात) की दशा में उक्त श्रेणियों के लिये अनुमन्य अनुग्रह धनराशि का आधा तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि का चैथायी अनुग्रह धनराशि सहायता के रूप में देय होगी।

5- होम गार्ड्स संगठन के सक्रिय सदस्यों की उपरोक्त बिन्दु-4 (क) के बिन्दु 1, 2 व 3 में वर्णित दशा में मृत्यु पर दाह-संस्कार हेतु रू0-3,000/- (रूपया तीन हजार) की राशि अनुमन्य होगी।

(ख) आपदा हेतु :- होमगार्ड्स अवैतनिक सदस्यों की ड्यूटी/प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की विपत्ति (आपदा) की दशा में एक बार की एक मुश्त सहायता, जो अधिकतम रू0- 5,000/- (रूपया पॉच हजार) देय होगी।

(ख-1) ड्यूटी/प्रशिक्षण के दौरान बीमार होने की स्थिति में होम गार्ड्स स्वयंसेवक को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता की अधिकतम राशि रू0-10,000/- (रूपया दस हजार) अनुमन्य होगी।

(ग) छात्रवृत्तियां :- होमगार्ड्स संगठन के अवैतनिक सक्रिय सदस्यों के अध्ययनरत प्रतिभाशाली पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति दी जायेगी, परन्तु यदि छात्र को किसी अन्य स्त्रोत से वित्तीय सहायता मिलती है तो उस दशा में उस सीमा तक छात्रवृत्ति की धनराशि कम हो जायेगी।

(ग-1) हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से योग्यता के आधार पर 50 छात्रों का चयन कर रू0-500/- (रूपया पॉच सौ) प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(ग-2) ऐसे छात्र जो इण्टरमीडियट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्नातक कक्षा में अध्ययन करेंगे, उनमें से 50 छात्र योग्यता के आधार पर चयनित किये जायेंगे, जिन्हें रू0-1000/- (रूपया एक हजार) प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से वर्ष में एक बार (एकमुश्त) स्नातक कक्षाओं हेतु जो अवधि निर्धारित हो, के लिये छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(ग-3) ऐसे छात्र, जो एम0बी0बी0एस0 या इंजीनियरिंग कालेज, जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी सम्मिलित होगा अथवा अन्य समकक्ष तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे, को रू0-2000/- (रूपया दो हजार) प्रतिमाह की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त छात्रवृत्ति देना। छात्रवृत्ति आगे तभी दी जायेगी जब छात्र प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहे अन्यथा अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। आकस्मिक स्थितियों को छोड़कर सामान्य स्थिति में कल्याण कोष से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता होम गार्ड्स दिवस के अवसर पर प्रदान की जायेगी।

(घ) निरस्त

(घ-1) खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक तथा मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें होम गार्ड्स मुख्यालय/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा सभी जिला इकाइयों में सूचना/मनोरंजन कक्षों/पुस्तकालय की स्थापना/सुसज्जित करने हेतु धनराशि रू0-3000/- (रूपया तीन हजार)

(घ-1-क) 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर पर (तीनों आयोजनों हेतु) होम गार्ड्स मुख्यालय के लिये एकमुश्त रू0-10,000/-(रूपया दस हजार)

(घ-1-ख) अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम के सभी सदस्यों को अभ्यास के दौरान विशेष भोजन दिये जाने पर अधिकतम् राशि रू0-10,000/- (रूपया दस हजार) की वित्तीय सहायता।

(घ-1-ग) विजयी टीम के उत्साहवर्धन हेतु रू0-20,000/- (रूपया बीस हजार) की अधिकतम् वित्तीय सहायता।

(घ-2) होम गार्ड्स दिवस वार्षिक समारोह एवं सेरीमोनियल परेड के अवसर पर सम्मिलित सभी सदस्यों को अभ्यास के दौरान विशेष भोजन हेतु अधिकतम

रू0-10,000/- (रूपया दस हजार) वित्तीय सहायता तथा परेड में सम्मिलित होम गार्ड्स विभाग के सभी प्रतिभागियों के बडे-खाने के समय विशेष भोजन पर अधिकतम रू0-30,000/- (रूपया तीस हजार) की सहायता।

(घ-3) गणतंत्र दिवस के अवसर पर होम गार्ड्स मुख्यालय पर आयोजित अभ्यास परेड के दौरान सम्मिलित अवैतनिक जवानों के उत्साहवर्धन हेतु विशेष भोजन हेतु अधिकतम रू0-5,000/- (रूपया पॉच हजार) की वित्तीय सहायता।

कोष की व्यवस्था 5-(क) कोष की व्यवस्था, प्रबन्ध समिति द्वारा की जायेगी। प्रबन्ध समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

1- कमाण्डेण्ट जनरल, होम गार्ड्स ..... अध्यक्ष

2- प्रमुख सचिव, होम गार्ड्स द्वारा नामित सदस्य ..... सदस्य

3- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल ..... सदस्य

4- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, होम गार्ड्स ..... सदस्य

5- वित्त नियंत्रक, होम गार्ड्स मुख्यालय ..... सदस्य एवं कोषाध्यक्ष।

6- कमाण्डेण्ट जनरल, होम गार्ड्स द्वारा नामित
एक अधिकारी जो कल्याण कोष का काम
देख रहा हो..... सदस्य

प्रबन्ध समिति की बैठक में अध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक के अतिरिक्त 02 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वर्ष में कम से कम दो बार प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत की जायेगी।

(ख) प्रबन्ध समिति कोष की धनराशि के निवेश, आर्थिक सहायता की मात्रा तथा अन्य मामले जहॉ नियम नहीं बने हैं, का निर्धारण करेगी। ''साथ ही नियमावली के किसी प्राविधान के होते हुये भी, राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस कोष से नियमावली में निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु निर्धारित सीमा से दो गुनी धनराशि की सीमा तक सहायता स्वीकृत कर सकेगी।'' कोष की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधिक योजना, उत्तर प्रदेश शासन के उपक्रमों, सरकारी प्रतिभूतियों तथा डाकघर योजनाओं की, जो डाकघर की सबसे लाभकारी योजना हो, में निवेश की जायेगी तथा उक्त निवेश से होने वाली आय से व्यय किया जायेगा तथा मूलधन की धनराशि को यथावत् रखा जायेगा और उससे कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

कार्य निस्तारण 6-(क) प्रबन्ध समिति आवश्यक मामलों में निस्तारण हेतु जब भी आवश्यकता हो, बैठक कर सकती है।

(ख) प्रबन्ध समिति की बैठक का कोरम-अध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक के अतिरिक्त 02 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ग) दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित एवं अन्य स्त्रोतों से सहायता प्राप्त मामलों में कोष से आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

प्रबन्ध समिति के सदस्यों को देय धनराशि

7- प्रबन्ध समिति के सदस्य समिति के अधिकारी होने के नाते किसी पारिश्रमिक पर पुरूस्कार के रूप में किसी धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

कर्मचारियों का प्राविधान

8- प्रबन्ध समिति के लिपिकीय कार्यों हेतु आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था कमाण्डेण्ट जनरल, होम गार्ड्स द्वारा की जायेगी।

लेखा एवं लेखा परीक्षण

9- कोष की सभी धनराशि का नियमित लेखा रखा जायेगा, जिसका लेखा परीक्षण स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा। स्थानीय निधि लेखा परीक्षक यह प्रमाण-पत्र देगा कि कोष निधि से व्यय कोष के उद्देश्यों के अनुसार सही ढंग से किया गया है।

समय-समय पर भेजी जाने वाली रिपोर्ट्स

10- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 06 माह के अन्दर राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट दी जायेगी, जिसमें निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं और प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा किया हुआ लेखों का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त नियमावली के लागू होने से उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स कल्याण निधि नियमावली, 1995 स्वतः समाप्त हो जायेगी।

आज्ञा से,
विनय प्रिय दुबे,
सचिव

संख्या-21/2019/725/पन्चानबे-19-120 होगा/88 टी0सी0

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ दिनांक : 20 जून, 2019

विषय: उत्तर प्रदेश होमगार्डस कल्याण कोष के लिए रूपये पांच करोड की अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3782/का0 कोष-482/2013(5), दिनांक 04 अप्रैल, 2019 तथा शासनादेश संख्या-660/छः नासु-13-120 होगा/84 टी0सी0, दिनांक 06 मई, 2013 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के कल्याणार्थ उ0प्र0 होमगार्डस कल्याण कोष हेतु पूर्व में प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,000/- को बढाकर रू0 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड मात्र) किये जाने हेतु रू0 5,00,00,000/- (रू0 पांच करोड मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त धनराशि को कोषागार से आहरित कर राष्ट्रीयकृत बैंको से एफ0डी0आर0 बनवाकर उससे प्राप्त होने वाले ब्याजसे होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस 11-होमगार्डस कल्याण कोष 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-860/दस-2019, दिनांक 13 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

.....2.....

संख्या-21/2019/725(1)/पन्चानबे-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ
5. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-31/2021/1425/पन्चानबे-2021/606 होगा/08 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ: दिनांक : 13 अगस्त, 2021

विषय होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उनके नामिनी/उत्तराधिकारी को एवं अपंगता की दशा में उनको अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत ड्यूटी/प्रशिक्षणरत होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की दुर्घटना के कारण मृत्यु एवं अपंग होने पर निम्नवत राशि दिये जाने की व्यवस्था रही है:-

1.	दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, पूर्ण स्थायी अपंगता यथा (पक्षाघात आदि) तथा दो अंगों अथवा दोनों ऑखों की पूर्ण रूप से हानि होने पर।	रू0 5,00,000/-
2.	एक अंग अथवा एक ऑख की पूर्ण रूप से हानि होने पर।	रू0 2,50,000/-

निविदा के माध्यम से इस हेतु चयनित बीमा कम्पनी को आच्छादित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की संख्या के सापेक्ष प्रीमियम की धनराशि दी जाती है, जिसके उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा योजना से आच्छादित प्रकरणों में उक्तवत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. सामाजिक सुरक्षा बीमा से आच्छादित न होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को उत्तर प्रदेश होमगार्डस स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली, 2013 के अन्तर्गत प्रस्तर-4(क) में निम्नवत राशि दिये जाने की व्यवस्था है :-

1.	साम्प्रदायिक दंगों/आतंकवाद निरोधी कार्यवाही में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में।	रू0 5,00,000/-
2.	विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में। इसके अन्तर्गत चुनाव, कानून व्यवस्था तथा दैवीय आपदा सम्बन्धित ड्यूटी सम्मिलित होगी।	रू0 3,00,000/-

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3.	परेड, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर नियोजित होने वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में।	रू0 2,00,000/-
4.	उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत अपंगता (दो अंगों अथवा दोनों ऑखें अथवा एक अंग एवं एक ऑख की पूर्ण रूप से हानि पर) उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्ण रूप से स्थायी अपंगता पर (उदाहरण के रूप में पक्षाघात) की दशा में उक्त श्रेणियों के लिये अनुमन्य अनुग्रह धनराशि का आधा तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि का चौथायी अनुग्रह धनराशि सहायता के रूप में देय होगी।	

3. बीमा कम्पनी के माध्यम से होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को दी जाने वाली बीमा धनराशि के भुगतान में विभिन्न कठिनाइयॉ आती रही हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष में रक्षित धनराशि रू0 10 करोड़ के ब्याज से अर्जित धनराशि सभी पात्र होमगार्ड्स एवं अवैतनिक अधिकारियों को आर्थिक सहायता हेतु पर्याप्त नहीं होती है, जिससे होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों अथवा उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

4. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत ड्यूटी/प्रशिक्षणरत होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को दुर्घटना के कारण मृत्यु होने एवं अपंगता की दशा में बीमा कम्पनी द्वारा दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था तथा जो होमगार्डस स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी दुर्घटना बीमा से आच्छादित नहीं होते हैं, उनको उत्तर प्रदेश होमगार्डस स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली 2013 के प्रस्तर-4(क) 1, 2, 3 व 4 के अनुसार दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उनके नामिनी / उत्तराधिकारी को एवं अपंगता की दशा में उनको अनुग्रह राशि निम्नवत दिये जाने का निर्णय लिया जाता है:-

1.	मृत्यु होने की दशा में।	रू0 5,00,000/-
2.	स्थायी अपंगता की दशा में।	रू0 5,00,000/-
3.	एक अंग अथवा एक ऑख की पूर्ण रूप से हानि होने की दशा में।	रू0 2,50,000/-

यह व्यवस्था दिनांक 06.12.2020 से लागू होगी।

5. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखा शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 200-अन्य कार्यक्रम, 04-होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में मृत्यु/अपंगता पर उनके नामिनी/उत्तराधिकारी को अथवा उनको अनुग्रह राशि, 42-अन्य व्यय से वहन किया जाएगा|

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-ई-12-83(ई0ओ0)/दस-2021 दिनांक 09 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-31/2021/1425(1)/पन्चानबे-2021 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स/मण्डलीय कमान्डेण्ट, ग्रेड-2/1/जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग (घोषणा प्रकोष्ठ)।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से
निर्मला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-33/2021/1669/पन्चानबे-2021/606 होगा/08 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अुनभाग लखनऊ: दिनांक : 31 अगस्त, 2021

विषय होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उनके नामिनी/उत्तराधिकारी को एवं अपंगता की दशा में उनको अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उनके नामिनी/उत्तराधिकारी को एवं अपंगता की दशा में उनको अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-31/2021/1425/पन्चानबे-2021/606 होगा/08 टी0सी0 दिनांक 13-08-2021 द्वारा व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था दिनांक 06-12-2020 से लागू है। दिनांक 06-12-2020 से दिनांक 25-03-2021 तक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना भी प्रभावी थी, जिसके अंतर्गत द ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ बीमा कम्पनी को चयनित करते हुए बीमे की प्रमियम की धनराशि भी उपलब्ध करायी जा चुकी है।

2- अत: इस संबंध में मुझे आपसे यह अपेक्षा करने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु अथवा अपंगता के फलस्वरूप उनके नामिती/उत्तराधिकारी को अथवा उनको अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने के प्रकरणों में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

(i) दिनांक-06-12-2020 से दिनांक-13-08-2021 तक मृत होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सूची तैयार कर ली जाय।

(ii) उक्त में से बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत प्रकरणों में यह सुनिश्चित करा लिया जाय कि लाभार्थियों को धनराशि मिल गई है।

(iii) उक्त सूची में से दिनांक-06-12-2020 से दिनांक-25-03-2021 तक की अवधि के बीमा से आच्छादित किन्तु अभी तक लम्बित प्रकरणों में बीमा कम्पनी से अनुश्रवण करते हुए उन्हे स्वीकृत करा कर बीमा कम्पनी से एक पक्ष में भुगतान कराया जाय।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(iv) दिनांक-25-03-2021 तक बीमा कम्पनी जो मामले अस्वीकृत किए गए हो, उनकी समीक्षा विभागीय स्तर पर करा ली जाए। विभाग के मत में जो प्रकरण स्वीकृति योग्य हो उन्हे बीमा कम्पनी के साथ समन्वय कर एक पक्ष में स्वीकृत/भुगतान कराया जाए।

(v) बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रकरणों में शासनादेश संख्या-31/2021/1425/पन्चानबे-2021/606 होगा/ 08 टी0सी0 दिनांक-13 अगस्त, 2021 की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

(vi) इस प्रकार बीमा योजना से आच्छादित प्रकरणों के अतिरिक्त दिनांक- 06-12-2020 से दिनांक-13-08-2021 तक मृतक/अपंगता के प्रकरणों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही अधिकतम एक पक्ष के अंदर सुनिश्चित कर ली जाये।

(vii) भविष्य में होमगार्ड्स/अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु होने अथवा उनके अपंग होने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में शासनादेश दिनांक-13-08-2021 का लाभ अधिकतम एक पक्ष में प्रदान किये जाने हेतु एक समय-सारणी/क्रियाविधि तैयार कर तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(viii) इस प्रक्रिया को पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था भी सृजित कर ली जाय।

3- उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-33/2021/1669(1)/पन्चानबे-2021/606 होगा/08 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त नियंत्रक, होमगार्ड्स मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2- उप महासमादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड्स, उ0प्र0, लखनऊ।
3- उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, झांसी/प्रयागराज/आगरा।
4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट-ग्रेड-2, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
5- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट-ग्रेड-1, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
6- समस्त, जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

आज्ञा से,
नरेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2022/543/पन्चानबे-2022-606 होगा/08 टी0सी0 2

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2022

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु की दशा में दिये जाने वाले अनुग्रह राशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-31/2021/1425-पन्चानबे-2021/606 होगा/08 टी0सी0 दिनांक 13 अगस्त, 2021 के द्वारा होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु/पूर्ण स्थायी अपंगता पर उनके नामिनी/उत्तराधिकारी को अथवा उनको होमगार्डस विभाग की ओर से रू0 5,00,000/- (रू0 पॉच लाख मात्र) की अनुग्रह राशि दिये जाने की व्यवस्था है।

2 उल्लेखनीय है कि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किसी कर्मचारी को यदि मृत्यु होती है तो निर्वाचन आयोग द्वारा उनके नामिनी/उत्तराधिकारी को अनुग्रह राशि के रूप में रूपये 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) दिये जाने की व्यवस्था है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन ड्यूटी के दौरान होमगार्डस स्वयंसेवकों / अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु की दशा में उनके नामिनी / उत्तराधिकारी को निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि ही देय होगी।

भवदीय
निर्मला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-53/2022/2770/पन्चानबे-2022-188 होगा/06

प्रेषक,

आशुतोष चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ, दिनांक : 16 नवम्बर, 2022

विषय :होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की स्थायी रूप से अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि तथा उनके आश्रित को होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-2013/छः नासु-12-188 होगा/06 दिनांक 27 सितम्बर, 2012 द्वारा सेवाकाल में स्थायी रूप से अपंग होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों के एक पात्र आश्रित को होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने तथा शासनादेश संख्या-संख्या-31/2021/1425/पन्चानबे-2021-606 होगा/08 टी0सी0 दिनांक 13 अगस्त, 2021 द्वारा स्थायी अपंगता के फलस्वरूप सेवा हेतु अनुपयुक्त हो जाने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक पदाधिकारियों को रूपया 5,00,000/- (रूपया पॉच लाख मात्र) की अनुग्रह राशि प्रदान करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि विगत कुछ समय से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सेवा समाप्ति की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष पूर्ण करने वाले होगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक पदाधिकारियों द्वारा अपनी सेवा समाप्ति से कुछ समय पूर्व स्थायी अपंगता का कोई न कोई कारण प्रदर्शित करते हुये शासन द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि को प्राप्त करने तथा अपने किसी एक आश्रित को होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती कराने के अनुचित प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 16.11.2022 में हुये विचार-विमर्श के आधार पर शासन के पत्र संख्या-2414/पन्चानबे-2022-56 प्रकीर्ण/2017 दिनांक 21.09.2022 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के प्रस्तर-6 में महासमादेष्टा होमगार्डस, उ0प्र0 को यह निर्दिष्ट किया गया कि स्थायी अपंगता के प्रकरण में अनुग्रह राशि तथा आश्रित की नियुक्ति के दुरूपयोग की शिकायतों के दृष्टिगत विभिन्न जनपदों में स्थायी अपंगता के प्रकरण में आश्रित की नियुक्ति तथा अनुग्रह राशि का भुगतान अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया जाए।

3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थायी रूप से अपंग होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों/

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुग्रह राशि प्रदान करने तथा उनके एक आश्रित को होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता न हो, इसलिये ऐसे प्रकरण में अनुग्रह राशि प्रदान करने एवं उनके एक आश्रित को सेवायोजित करने की उक्त प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाय। इसके साथ ही यह भी निर्णीत हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में यदि ऐसे आश्रित को पूर्व में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है तो उन्हें प्रशिक्षण प्रदान न कराया जाय और यदि कोई आश्रित वर्तमान में प्रशिक्षण पर है तो उन्हें ड्यूटी पर तैनात न किया जाय।

4. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के अग्रिम आदेशों तक उक्त प्रस्तर-3 में वर्णित निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव

संख्या-53/2022/2770(1)/पन्चानबे-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), होमगार्डस विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, होमगार्डस विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-05/2023/34/पन्चानबे-2023-188 होगा/06 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 17.01.2023

विषय: सेवाकाल में मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पात्र आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने हेतु नामिती के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8752/कार्मिक/सूचना-193/2021 दिनांक 23.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने हेतु पात्र आश्रितों का निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-31/2021/1425/पन्चानबे-2021/606 होगा/08 टी0सी0, दिनांक 13.08.2021 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में (अधिवर्षता से पूर्व)मृत्यु की दशा में उनके नामिनी/उत्तराधिकारी को एवं दिव्यांगता की दशा में उनको अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में(अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु होने पर उनके दूर के संबंधियों यथा-भतीजे, भांजे, विवाहित/सेवायोजित भाई, विवाहिता बहनों आदि द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाता है, जिससे शासकीय धन के दुरूपयोग एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहती है। चूंकि अनुग्रह राशि मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारियों की अर्जित संपत्ति नहीं है और यह राज्य सरकार द्वारा सेवावधि में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की असामयिक मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिवार में उत्पन्न होने वाली विषम आर्थिक स्थिति के निवारण हेतु दी जाने वाली एक सहायता राशि है। अत: शासकीय धन के दुरूपयोग एवं विवाद की आशंका को समाप्त करने के लिये अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु नामित किये जाने वाले आश्रितों का निर्धारण किये जाने की आवश्यकता परिलक्षित हुई है।

3. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारियों द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान निम्न संबंधियों में से ही किसी एक अथवा एक से अधिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

आश्रितों/नामिती को अनिवार्य रूप से नामित किया जाय ताकि सेवाकाल में उनकी मृत्यु के उपरांत उनके द्वारा नामित/आश्रित व्यक्ति को ही अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सके:-

(क) पति/पत्नी

(ख) पुत्र/पुत्री अथवा दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री एवं पुत्र/पुत्रों की मृत्यु की दशा में पुत्रवधू/पुत्रवधुएं

(ग) माता/पिता

(घ) पौत्र/पौत्री एवं दौहित्र/दौहित्री

(ङ) आश्रित भाई/भाईयों एवं अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/पति द्वारा परित्यक्त आश्रित बहनें

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों द्वारा उपरोक्त में से एक से अधिक आश्रित संबंधियों को नामित किये जाने पर उनके पारस्परिक अंश का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4. यदि सेवावधि में होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स अधिकारियों द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु उक्त प्रस्तर-3 में वर्णित संबंधियों में से एक अथवा एक से अधिक संबंधियों को नामिनी नहीं बनाया जाता है तो ऐसी दशा में उपर्युक्त वर्णित आश्रित संबंधियों में से उच्चतर श्रेणी के संबंधी को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा, तद्क्रम में निम्नतर श्रेणी के संबंधी स्वत: अपवर्जित हो जायेंगे।

स्पष्टीकरण-(1) ''आश्रित'' से आशय होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के साथ निवास करने व उस पर पूर्णत: निर्भर होने से है।

स्पष्टीकरण-(2) अनुग्रह राशि हेतु नामित किये जाने वाले उपरोक्त आश्रितों के लिये आयु सीमा निम्नवत होगी:-

(i) पुत्र-सेवायोजित होने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो।

(ii) पुत्री-सेवायोजित होने या विवाहित होने तक, जो भी पहले हो।

(iii) पुत्र/पुत्री जो मानसिक या शारीरिक स्थायी नि:शक्तता से ग्रस्त हों-जीवन पर्यन्त।

(iv) भाई सेवायोजित होने अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

5. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अनिल कुमार

अपर मुख्य सचिव

संख्या-05/2023/34(1)/पन्चानबे-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-44/2023/1248/पन्चानबे-2023-188होगा/06टीसी

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊः दिनांकः 18 अगस्त, 2023

विषय- सेवाकाल में मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने हेतु नामिनी के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5316/कार्मिक सूचना-193/2021, दिनांक 07.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सेवाकाल में मृत होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पात्र आश्रितों/नामिती को अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश सं0-05/2023/34/पन्चानवे-2023-188 होगा /06 टी०सी०, दिनांकः 17-01-2023 में कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए उक्त शासनादेश में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त सेवाकाल में मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पात्र आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने हेतु नामिनी के निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0-05/2023/34/पन्चानवे-2023-188 होगा /06 टी०सी०, दिनांकः 17-01-2023 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नवत व्यवस्था की जाती है:-

(1) यदि सेवावधि में होमगार्डस स्वयंसेवक / अवैतनिक अधिकारियों द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में वर्णित संबंधियों में से एक अथवा एक से अधिक संबंधियों को नामिनी नहीं बनाया गया है या अनुग्रह राशि हेतु बनाये गये नामिनी की भी मृत्यु हो चुकी है या नामित आश्रित स्पष्टीकरण की शर्तों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में उपर्युक्त प्रस्तर-03 में वर्णित आश्रित संबंधियों में से उच्चतर श्रेणी के संबंधी को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा। यदि उच्चतर श्रेणी के आश्रित की मृत्यु हो चुकी है, तो मृतक होमगार्डस द्वारा नामित किये गये आश्रित के बराबर की श्रेणी के अन्य जीवित एवं पात्र आश्रितों को बराबर- बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान नियमानुसार कर दिया जायेगा। यदि नामित आश्रित के बराबर की श्रेणी में कोई भी पात्र आश्रित उपलब्ध नहीं है,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तो शेष निम्नतर श्रेणी के संबंधी स्वतः अपवर्जित हो जायेंगे तथा किसी अन्य आश्रित को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(2) यदि मृतक द्वारा किसी भी आश्रित को नामिनी नहीं बनाया गया है, तो उक्त शासनादेश दिनांक- 17-01-2023 के प्रस्तर-03 में उल्लिखित वरीयता क्रम में क्रमवार उच्च श्रेणी से प्रारम्भ करके निम्नतर श्रेणी के संबंधी को विचारण में लिया जाएगा तथा जिस स्तर पर कोई जीवित संबंधी उपलब्ध हो जाएगा, उस स्तर से निचले स्तर के संबंधी पर विचार नहीं किया जायेगा, भले ही उच्चतर श्रेणी का जीवित संबंधी प्रस्तर-04 में उल्लिखित स्पष्टीकरण-(1) अथवा स्पष्टीकरण-(2) में अंकित शर्तें पूर्ण न करने के फलस्वरूप अनुग्रह राशि प्राप्त करने हेतु अयोग्य हो जाए।

उदाहरण:- यदि किसी मृतक होमगार्डस द्वारा नामिनी का निर्धारण नहीं किया गया है अथवा उसके द्वारा नामिनी शासनादेश दिनांक- 17-01-2023 की शर्तो को पूर्ण न कर पाने के कारण अयोग्य हो गया है तो उक्त शासनादेश के प्रस्तर- 03 के अनुसार अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धी का चयन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

(i) मृतक होमगार्डस के पति या पत्नी के जीवित होने पर उसे अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा।

(ii) मृतक होमगार्डस के पति या पत्नी के जीवित न होने पर प्रस्तर-3 (ख) के अनुसार पुत्र/पुत्री अथवा दत्तक पुत्र /दत्तक पुत्री एवं पुत्र/पुत्रों की मृत्यु की दशा में पुत्रवधु/पुत्रवधुओं में से यदि एक भी सम्बन्धी जीवित है, तो यदि वह प्रस्तर-04 में अंकित स्पष्टीकरण-(1) व (2) की शर्तें पूर्ण कर रहा हो, तो उसे अनुग्रह राशि प्रदान कर दी जायेगी। इसके विपरीत यदि उक्त सम्बन्धी जीवित है तथा स्पष्टीकरण की शर्तें पूर्ण न करने के कारण अनुग्रह राशि हेतु अपात्र हो जाता है, तो उसे अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा अन्य किसी निम्नतर श्रेणी के सम्बन्धी के नाम पर भी विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) यदि प्रस्तर-3 (ख) में अंकित सम्बन्धियों में से एक से ज्यादा सम्बन्धी जीवित हैं तथा वे प्रस्तर-04 में अंकित स्पष्टीकरण-(1) व (2) की शर्तें पूर्ण करने के कारण अनुग्रह राशि पाने के पात्र हैं तो ऐसे सभी पात्र सम्बन्धियों को बराबर-बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-31/2021/1425/पन्चानबे-2021/606होगा/08 टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2021 के निर्गमन के क्रम में दिनांक 06.12.2020 या उसके पश्चात मृतक होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने से संबंधित सभी लम्बित प्रकरण शासनादेश संख्या-05/2023/34/पन्चानबे-2023-188 होगा/06 टी0सी0, दिनांक 17-01-2023 से आच्छादित होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- शासनादेश संख्या-05/2023/34/पन्चानबे-2023-188 होगा/06, दिनांक 17 जनवरी, 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-44/2023/1248(1)/पन्चानबे-2023, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
3- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।